भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना

यह एडिटोरियल 29/10/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "The death penalty and humanising criminal justice" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

समय के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में आया परिवर्तन उल्लेखनीय रहा है। अपरिपक्व, आदिम और प्रथागत कानूनी व्यवस्था से लेकर वर्तमान, आधुनिक जटिल न्यायिक ढाँचा तक की इसकी यात्रा अपराधों और प्रशासन की लगातार उभरती एवं बदलती प्रकृति का परिणाम रही है।

- उपर्युक्त कारकों के संश्लेषण ने भारतीय न्याय वितरण प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता बढ़ा दी है। यह वहनीय एवं प्रभावी विवाद समाधान तंत्रों और प्रौद्योगिकी-संचालित त्वरित परीक्षण (speedy trials) की मांगों को रेखांकित करती है, ताकि न्याय वितरण ढाँचे में सक्षम 'गेम-चेंजिंग' परिवर्तन के लिये भारत को तैयार किया जा सके।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की संरचना

- भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली उन सरकारी एजेंसियों से मिलकर बनी है जो कानून का प्रवर्तन करती हैं, अपराधों का अधिनिर्णय करती हैं और आपराधिक व्यवहार में सुधार लाती हैं।
- इसमें चार उप-प्रणालियाँ शामिल हैं:
  - विधायिका (संसद)
  - प्रवर्तन (पुलिस तंत्र)
  - अधिनिर्णय (न्यायालय)
  - सुधार (कारावास, सामुदायिक सुविधाएँ)

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास

- भारतीय इतिहास के पूरे कालक्रम में विभिन्न शासकों के अधीन विभिन्न भूभागों में विभिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियों का विकास हुआ और उन्होंने प्रमुखता प्राप्त की।
- ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था, जो अभी तक प्रायः अपरिवर्तित रूप में बनी हुई हैं।
- भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।
- इसी क्रम में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन हेतु प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। इसे वर्ष 1973 में अधिनियमित किया गया था और यह 1 अप्रैल 1974 से प्रभावी हुआ।

भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित वर्तमान समस्याएँ

- **लंबित मामले:** वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार, न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भारतीय न्यायालयों में 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अधिकाधिक लोग और संगठन अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। लेकिन मुकदमों की संख्या में इस तेज़ वृद्धि के साथ इनकी सुनवाई के लिये उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त कम है।
  - इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के भारतीय कारावास आँकड़े (Prison Statistics India) के अनुसार भारतीय कारावास में बंद लोगों में से 67.2% विचाराधीन कैदी (trial prisoners) हैं।
- **औपनिवेशिक प्रकृति:** आपराधिक न्याय प्रणाली के सारभूत एवं प्रक्रियात्मक—दोनों ही पहलुओं को ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में देश पर शासन करने के उद्देश्य से अभिकल्पित किया गया था।

- इस परदृश्य में 19वीं सदी के इन कानूनों 21वीं सदी में प्रासंगकिता नश्चिय ही बहस का वषिय है।
- **न्यायकि आदेशों का सुस्त प्रवर्तन:** न्यायपालकिा और पुलसि के बीच समन्वय की कमी के परणिामस्वरूप न्यायालय के नरि्णय प्रायः वास्तवकि धरातल पर उतरने के बजाय कागजों पर ही बने रहते हैं।
  - उदाहरण के लयि, सूचना प्रौद्योगकिी अधनियिम, 2000 (Information Technology Act 2000) की धारा 66A कंप्यूटर या कसिी अन्य संचार उपकरण के माध्यम से आपत्तजिनक संदेश भेजने के लयि दंड का नरि्धारण करती है।
    - लेकनि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 66A को नरिस्त कयि जाने के बाद भी पुलसि द्वारा इसके तहत गरिफ्तारयिाँ की जाती रहीं। यह समन्वय की कमी और नरि्णयों को धरातल पर लागू करने की वफिलता को प्रकट करता है।
- **कारावास में अमानवीय व्यवहार:** वर्षों से आलोचकों द्वारा बंदयिों के प्रतजिेल कर्मचारयिों के उदासीन और यहाँ तक कअिमानवीय व्यवहार के बारे में बार-बार शकियात की जाती रही है। इसके साथ ही, हरिासत में बलात्कार और मौतों के वभिन्नि मामले सामने आते रहे हैं जो कैदयिों के मानवाधकिारों के उल्लंघन की पुष्टकिरते हैं।
- **भाषाई बाधाएँ:** वर्तमान संवैधानकि योजना के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लयि आधकिारकि भाषा अंग्रेज़ी है (जब तक संसद वधिद्वारा अन्यथा उपबंध न करे- अनुच्छेद 348(1))।
  - वभिन्नि भाषाई पृष्ठभूमसिे आने वाले लोगों के लयि सांवधकि भाषा की जटलिता कानूनी व्यवस्था को समझना कठनि बना देती है।
  - यह भाषाई अवरोध अपने अधकिारों के बारे में उनकी समझ को सीमति करता है, उनकी जागरूकता की कमी को सघन करता है और उन्हें न्याय तक पहुँच सकने से प्रभावी रूप से अवरुद्ध करता है।

आपराधकि न्याय प्रणाली में सुधार के लयि हाल की प्रमुख पहलें

- न्याय वतिरण और कानूनी सुधार के लयि राष्ट्रीय मशिन
- एआई-आधारति पोर्टल: SUPACE
- इंटरऑपरेबल क्रमिनिल जस्टसि ससि्टम (ICJS) प्रोजेक्ट
- सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमगि

आगे की राह

- **पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice)**: कानून में सुधार लाने के प्रयासों में अपराध पीड़तिों (crime victims) के अधकिारों की पहचान पर वशिेष बल दयिा जाना चाहयि। पीड़ति एवं साक्षी संरक्षण योजनाओं (victim and witness protection schemes) की शुरुआत करना, पीड़ति प्रभाव बयानों (victim impact statements) का उपयोग करना और पीड़ति के मुआवज़े एवं बहाली के अधकिारों (victim compensation and restitution rights) को सुदृढ़ करना न्याय बहाल करने की दशिा में एक सकारात्मक कदम होगा।
  - वी.एस. मलीमथ समति (वर्ष 2003) और 268वीं भारतीय वधिआयोग रपिोर्ट (वर्ष 2017) ने आरोपति को जमानत देने या जमानत रद्द करने में पीड़ति की भागीदारी के अधकिार का समर्थन कयि और जमानत के मामलों में 'पीड़ति प्रभाव मूल्यांकन' रपिोर्ट का सुझाव दयि।
- **न्यायकि सेवा की शक्तबिढ़ाना:** इंडयि जस्टसि रपिोर्ट (वर्ष 2020) ने उजागर कयि है कभिारत में प्रत्येक 50,000 नागरकिों पर मात्र एक न्यायाधीश की सेवा उपलब्ध है। अधीनस्थ स्तर पर अधकि न्यायाधीशों की नयिुक्तकि र न्यायकि सेवाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धकिरने की आवश्यकता है। सुधार की शुरुआत परिामडि के नचिले स्तर से होनी चाहयि।
  - अधीनस्थ न्यायपालकिा को सुदृढ़ करने के एक उपाय के रूप में इसे दस्तावेजों के डजिटिलीकरण सहति तकनीकी और प्रशासनकि सहायता प्रदान की जानी चाहयि ताकजिाँच एवं परीक्षण में तेज़ी लाने में मदद मलि सके।
  - इसके अलावा, अखलि भारतीय न्यायकि सेवा का संस्थानीकरण सही दशिा में बढ़ाया गया कदम हो सकता है।
- **पुलसि बल में सुधार:** एक प्रगतशिील, आधुनकि भारत में एक ऐसा पुलसि बल होना चाहयि जो लोगों की लोकतांत्रकि आकांक्षाओं की पूर्तकि रे। इस क्रम में 21वीं सदी के साइबर एवं आर्थकि अपराधों से प्रभावी ढंग से नपिटने के लयि पुलसि अधनियिम में सुधार लाने और हमारे पुलसि बल के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है।
  - 'प्रताप सहि बनाम भारत संघ' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलसि प्रणाली में सुधार का सुझाव देते हुए दशिानरि्देश जारी कयि हैं, जसिमें वधि-व्यवस्था बनाए रखने और जाँच कार्य करने के पुलसि के दायत्विों को पृथक करने की भी बात कही गई है।
- **न्यायकि 'बैकलॉग' से नपिटना:** त्वरति सुनवाई का अधकिार आपराधकि न्याय के लयि मूलभूत है। मामलों के बैकलॉग को दूर करने के लयि न्यायपालकिा को अदालती प्रक्रयिा में कई सुधारों को अपनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही, यह मामूली अपराधों के मध्यस्थता (Mediation, Arbitration) जैसे वैकल्पकि ववािद समाधान तंत्र और उचति केस प्रबंधन के लयि प्रौद्योगकिी के प्रभावी उपयोग जैसे उपायों पर बल दे सकती है।
- **न्यायकि भाषा की समता (Judicial Language Parity):** न्याय का संचार उतना ही महत्त्वपूर्ण है जतिना कि न्याय का नरि्धारण। आम नागरकि के भरोसे को जीवंत करने के लयि कानूनी प्रणाली का लक्ष्य होना चाहयि कभिाषाई अवरोधों को दूर करे ताकगिैर-अंग्रेज़ी भाषयिों के लयि न्यायालयों में प्रवेश की प्रक्रयिा कम बोझलि बने।
  - भाषाई अवरोधों को दूर करना देश की कानूनी व्यवस्था के 'भारतीयकरण' की दशिा में एक कदम होगा।
- **मृत्युदंड के मामले में मानकों को बढ़ाना:** सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दयि है कमिृत्युदंड का नरि्णय लेते समय दोषी की सामाजकि पृष्ठभूमि, आयु, शैक्षकि स्तर आदकिा भी ध्यान रखा जाना चाहयि।
  - हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने मृत्युदंड का नरि्णय लेते समय संभावति शमनकारी परस्थितियिों (mitigating circumstances) पर वचिार करने हेतु दशिानरि्देश तैयार करने पर भी बल दयि है।

अभ्यास प्रश्न: आपराधकि कृत्यों के उभार ने भारतीय न्याय व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता की वृद्धकिर दी है। टप्पिणी कीजयि।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????? ????????

Q.1 मौत की सजा को कम करने में राष्ट्रपति की देरी सार्वजनिक पटल पर न्याय से इनकार के रूप में सामने आए हैं। क्या ऐसी याचिकाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति के लिए कोई समय निर्दिष्ट किया जाना चाहिये? विश्लेषण कीजिये (वर्ष 2014)

Q.2 भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) बेहतर ढंग से तभी प्रभावी हो सकता है जब इसके कार्यों को अन्य तंत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित किया जाता है जो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उपर्युक्त अवलोकन के आलोक में मानवाधिकार मानकों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में न्यायपालिका और अन्य संस्थानों के प्रभावी पूरक के रूप में NHRC की भूमिका का आकलन करें। (वर्ष 2014)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revitalising-indian-criminal-justice-system